अनुदान संख्या 11 – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
GRANT No. 11 - DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5001,79,00		5402,32,00	5316,40,36	-85,91,64
पूरक	Supplementary	400,53,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					70,91,45
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	672,72,00		1108,22,00	1106,88,82	-133,18
पूरक	Supplementary	435,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					99,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹8591.64 लाख) नवंबर, 2019, मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹40053.00 लाख के पूरक अनुदान का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹8591.64 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grant of ₹40053.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	10465.00	8837.26	8780.88	-56.38
पु.	R.	-1627.74			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	95700.00	24.29	..	-24.29
पू.	S.	19201.00			
पु.	R.	-114876.71			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8327.00	6673.90	5923.85	-750.05
पु.	R.	-1653.10			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	111676.00	82270.31	81724.91	-545.40
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-29407.69			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	251405.00	414358.50	414317.45	-41.05
पू.	S.	20850.00			
पु.	R.	142103.50			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	22606.00	20976.29	20893.27	-83.02
पु.	R.	-1629.71			

(I) ₹114904.00 लाख का प्रावधान (₹19201.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹114851.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – के अंतर्गत निम्निलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :–

(का) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹800.00 लाख।

(खा) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(क) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹76851.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ख) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹37200.00 लाख (₹19200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

(I) Provision of ₹114904.00 lakhs (including supplementary grant of ₹19201.00 lakhs) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹114851.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies"- ₹800.00 lakhs.

(B) "Development of Backward Areas - Subsidies" -

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area"- ₹76851.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "Budgetary Support Under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttrakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹37200.00 lakhs (including supplementary grant of ₹19200.00 lakhs).

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part

उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "'सचिवालय – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग" के अंतर्गत – ₹1418.14 लाख की बचत (₹9468.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "विस्फोटक – पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन" – ₹2403.15 लाख की बचत (₹8327.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने, लॉकडाउन के कारण कम अधिप्राप्त होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग – अन्य – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1125.00 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और पिछले वर्ष के अव्ययित बकाया की उपलब्धता के कारण हुई।

(खा) "उपभोक्ता उद्योग" –

(क) "चमड़ा – भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" – ₹7522.43 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹45801.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रत्नागिरी, महाराष्ट्र में मेगा लेदर फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर के संबंध में समग्र परियोजना रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department for Promotion of Industry and Internal Trade" - saving of ₹1418.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9468.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals.

(III) Under Major Head "2070" - "Explosives - Petroleum and Explosives Safety Organisation" - saving of ₹2403.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8327.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tour undertaken, receipt of less proposals and less procurement and non-utilisation of funds by Central Public Works Department owing to lockdown.

(IV) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Cement and Non-Metallic Mineral Industries - Others - Assistance to Autonomous Bodies" - saving of ₹1125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balances of previous year.

(B) "Consumer Industries" -

(a) "Leather - Indian Leather Development Programme" - saving of ₹7522.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹45801.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of Detailed Project Report on Mega Leather Footwear and Accessories Cluster at Ratnagiri, Maharashtra and receipt of less proposals.

(ख) "अन्य – नमक आयुक्त" – ₹656.03 लाख की बचत (₹3761.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, लॉकडाउन के कारण जीईएम के जरिए सामानों की अधिप्राप्ति न किए जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य – अन्य व्यय" –

(क) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" – ₹7744.67 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, नई परियोजनाएं न लिए जाने और कुछ राज्यों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण हुईं।

(ख) "मेक इन इंडिया" – ₹18283.80 लाख की बचत (₹37330.00 लाख के सांकेतिक स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "बैद्धिक संपदा और प्रबंधन के संवर्धन के लिए प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम)" – ₹621.63 लाख की बचत (₹896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने और सूचना प्रसार के ई–कन्टेंट और अन्य नए तरीके इस्तेमाल करने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3475" – "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन – बौद्धिक सम्पदा" – ₹1848.06 लाख की बचत (₹21813.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, लॉकडाउन के कारण जीईएम आदेशों का निष्पादन न होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹606.03 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थीं।

(b) "Others - Salt Commissioner" - saving of ₹656.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3761.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of items through GeM owing to lockdown and receipt of less proposals.

(C) "General - Other Expenditure"-

(a) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of ₹7744.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-taking up new projects and slow progress by some States.

(b) "Make in India" - saving of ₹18283.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37330.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement & publicity and receipt of less proposals.

(c) "Cell for Promotion of Intellectual Property and Management (CIPAM)" - saving of ₹621.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹896.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and use of E-content & more innovative ways of disseminating information.

(V) Under Major head "3475" - "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property" - saving of ₹1848.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21813.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-execution of GeM Orders owing to lockdown and receipt of less proposals.

(VI) Under two heads savings of ₹606.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 27 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹147392.42 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹40052.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" –

(क) "औद्योगिक उत्पादकता – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹778.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय – स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹4510.05 लाख तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4506.80 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" –

(क) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी"

(i) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹91904.37 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹91903.93 लाख था।

(ii) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹40200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹40160.19 लाख था।

(ख) "औद्योगिक गलियारा – दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास तथा कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)" – ₹10000.00 लाख था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9999.33 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹147392.42 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹40052.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General"-

(a) "Industrial Productivity - Assistance to Autonomous Bodies" - ₹778.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Institutions"- ₹4510.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹4506.80 lakhs.

(B) Major Head "2885" -

(a) "Development of Backward Areas - Subsidies" -

(i) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹91904.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹91903.93 lakhs.

(ii) "Budgetary Support Under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttrakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹40200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹40160.19 lakhs.

(b) "Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridors - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)" - ₹10000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9999.33 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1040.00 लाख का अधिक व्यय (₹610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदान के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "2852" - "General - International Co-operation - United Nations Industrial Development Organisations" - excess of ₹1040.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹610.00 lakhs) was due to increase in share of contribution.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	7262.00	2151.00	2117.38	-33.62
पु.	R.	-5111.00			
मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	60010.00	108572.00	108571.44	-0.56
पू.	S.	43550.00			
पु.	R.	5012.00			

(I) ₹739.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)" चेन्नई में कार्यालय भवन के निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹739.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Intellectual Property Appellate Board (IPAB)" - due to non-finalisation of construction of office building at Chennai.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत – ₹4405.62 लाख की बचत (₹6523.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागपुर में शैक्षिक ब्लाक के निर्माण के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office" - saving of ₹4405.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6523.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for construction of Academic Block at Nagpur.

(III) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5012.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में मुख्य शीर्ष "4875" – "अन्य उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – निधियों में से निधि" के अंतर्गत – ₹27050.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5011.44 लाख था।

(III) The above savings were partly (₹5012.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹27050.00 lakhs in March, 2020 under Major Head "4875" - "Other Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Fund of Funds". Actual excess, however, was ₹5011.44 lakhs.